ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में ट्रंक अवसंरचना सड़क परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन का मूल्यांकन

स्वतंत्र बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में ट्रंक अवसंरचना सड़क परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन का मूल्यांकन

भूमिका

नीति आयोग द्वारा भारत के चिन्हित द्वीपों के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहा है। इस पहल के तहत "ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के समग्र विकास" का निर्णय लिया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप का विकास, एक विद्युत संयंत्र तथा ट्रंक अवसंरचना परियोजना जैसे प्रमुख परस्पर जुड़ी परियोजनाएँ सम्मिलित हैं।

ट्रंक अवसंरचना परियोजना प्रस्तावित समग्र विकास की मेरुदंड के रूप में कार्य करेगा और यह उन आवश्यक भौतिक ढांचों एवं जन उपयोगी सेवाओं को संस्थापित करेगी, जो अन्य घटकों को क्रियान्वित करने के लिए अनिवार्य हैं। ट्रंक अवसंरचना में सड़कें, जलापूर्ति नेटवर्क, विद्युत वितरण, सीवेज एवं जल निकासी व्यवस्था, संचार सुविधाएँ तथा अन्य जन उपयोगी सुविधाएं सम्मिलित हैं। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना के बिना ग्रेट निकोबार के समग्र विकास की परिकल्पना को संधारणीय और एकीकृत रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है ।

वर्तमान में ग्रेट निकोबार द्वीप में संपर्क सुविधा एवं अवसंरचनाओं की भारी कमी है। मुख्य भूमि एवं द्वीप के अन्य भागों से परिवहन संपर्क बहुत सीमित है और मौसम पर निर्भरता के कारण आवाजाही और अधिक कठिन हो जाती है। यहाँ की बुनियादी शहरी सेवाएँ और जन उपयोगी सेवाएं बड़े पैमाने के विकास गतिविधियों के लिए बहुत ही सीमित और अपर्याप्त हैं। अतः ट्रंक अवसंरचना परियोजना न केवल प्रस्तावित बृहद् परियोजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों के सृजन तथा देश के दक्षिणतम भाग में भारत की सामरिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह परियोजना रक्षा, सामरिक, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जन प्रयोजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अतः "भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013)" की धारा 2(1)(a) एवं (b) के अंतर्गत इस परियोजना को सार्वजनिक प्रयोजन की परियोजना माना गया है।

भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अनुपालन तथा माननीय उप राज्यपाल (HLG), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की स्वीकृति से एक स्वतंत्र बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, ताकि "ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में ट्रंक अवसंरचना परियोजना हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)" रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा सके। यह अध्ययन मेसर्स *एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.* द्वारा किया गया है, जो कि निकोबार जिले में अनिडको (ANIIDCO) की परियोजना " ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रंक अवसंरचना परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन का अध्ययन करना" के लिए नामिकायित सामाजिक प्रभाव आकलन एजेंसी है ।

इस विशेषज्ञ समूह का गठन 30 जुलाई, 2025 के आदेश संख्या 771द्वारा किया गया और इस विशेषज्ञ समूह को गठन की तिथि से दो माह के भीतर अपनी अनुशंसाएँ/सिफारिशें प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया।

इस सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मूल्यांकन का उद्देश्य है:

- प्रस्तावित परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ का आकलन करना,
- विस्थापन की मात्र एवं पुनर्वास की आवश्यकताओं की पहचान करना,
- प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उपाय बताना , तथा
- यह सुनिश्चित करना कि परियोजना का क्रियान्वयन RFCTLARR अधिनियम, 2013 में निहित समानता, न्याय एवं संधारणीयता के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

विशेषज्ञ समूह के सदस्य

1. सहायक आयुक्त (बंदोबस्त), अध्यक्ष
2. सहायक नगर एवं ग्रामीण योजनाकार, सदस्य
3. कार्यपालक अभियंता, एपीडब्ल्यूडी, कैंपबेल-बे, सदस्य
4. ग्राम प्रधान, कैंपबेल-बे, सदस्य
5. ग्राम प्रधान, लक्ष्मी नगर, सदस्य
6. प्रो. पुलक मिश्रा, प्रोफेसर, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आईआईटी खड़गपुर, सदस्य
7. डॉ. ऋतुस्मिता गोस्वामी, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस , गुवाहाटी, सदस्य

RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समूह ने सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सुव्यवस्थित एवं सहभागी प्रक्रिया द्वारा मूल्यांकन किया गया । समिति के सदस्यों ने मेसर्स एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन रिपोर्ट की गहन समीक्षा की। समीक्षा में निकोबार जिले के स्थानीय समुदायों पर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की कार्यप्रणाली, निष्कर्षों और अनुमानित सामाजिक प्रभावों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया।

विशेषज्ञ समूह ने सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की विस्तृत जाँच के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई सुनियोजित विचार-विमर्श आयोजित किए। इन बैठकों में सामाजिक प्रभाव आकलन टीम द्वारा प्रस्तुत कार्यप्रणाली, निष्कर्षों और टिप्पणियों पर व्यापक चर्चा हुई। समूह ने सामाजिक प्रभाव आकलन में प्रस्तावित संभावित प्रभावों, शमन उपायों और सिफारिशों की गहन समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया कि अध्ययन के प्रत्येक पहलू का गहन विश्लेषण हो और स्थलिक वास्तविकताओं के साथ उसकी पुष्टि की गई।

इन विचार-विमर्शों के क्रम में, विशेषज्ञ समूह के आंतरिक सदस्यों ने परियोजना क्षेत्र का स्थलिक दौरा किया ताकि सामाजिक पहलूओं का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके और संबंधित हितधारकों से जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण भी प्राप्त किया जा सके। बाह्य विशेषज्ञ - प्रो. पुलक मिश्रा और डॉ. ऋतुस्मिता गोस्वामी - पूरी समीक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहे और ऑनलाइन माध्यम से सभी विचार-विमर्शों में भाग लिया एवं अपनी विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। हालाँकि प्रतिकूल मौसम और मुख्य भूमि से यात्रा को प्रभावित करने वाली लॉजिसटिक बाधाओं कारण वे स्थलिक भ्रमण में शामिल नहीं हो सके, फिर भी सम्पूर्ण मूल्यांकन और समूह की सिफारिशों को तैयार करते समय उनके अवलोकनों/टिप्पणियों और व्यावसायिक सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर शामिल किया गया।

जन सुनवाई से प्राप्त अभिमतों/निष्कर्षों पर समिति सदस्यों की एक अनुवर्ती बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव आकलन सलाहकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। प्रस्तुति के दौरान रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और सामाजिक प्रभाव आकलन सलाहकार से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगे गए। इस समीक्षा प्रक्रिया के दौरान समिति सदस्यों द्वारा किए गए संपूर्ण विचार-विमर्श में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया कि सामाजिक प्रभाव आकलन एजेंसी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली सुदृढ़ हो, निष्कर्ष साक्ष्य-आधारित हों और संभावित सामाजिक प्रभावों की सावधानीपूर्वक पहचान की गई हो। रिपोर्ट में उल्लिखित विस्थापन, आजीविका बहाली, पुनर्वास आवश्यकताओं और परियोजना के लाभ का समान वितरण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।

इन विचार-विमर्शों के बाद, समिति ने सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन रिपोर्ट की अपनी समीक्षा को समेकित किया। विशेषज्ञ समूह ने प्रस्तावित परियोजना के संभावित सकारात्मक और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों की पहचान करने और आवश्यकतानुसार शमन उपायों का प्रस्ताव करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विकास कार्यों का क्रियान्वयन समता, निष्पक्षता और संधारणीयता के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट को सुदृढ़ और व्यापक बनाने तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समिति ने सामाजिक प्रभाव आकलन सलाहकार से स्पष्टीकरण भी माँगा और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया। सलाहकार को आवश्यक स्पष्टीकरण देने, आवश्यक संशोधन करने और रिपोर्ट में उल्लेखनीय बिंदुओं को उजागर करने का पर्याप्त अवसर भी दिया गया।

इस व्यापक समीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, जिसमें आंतरिक चर्चा, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का विश्लेषण, परामर्शदाताओं से स्पष्टीकरण तथा समिति के सदस्यों (दो बाहरी सदस्यों को छोड़कर) द्वारा स्थलिक दौरा शामिल था, विशेषज्ञ समूह ने अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है, जिन्हें इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

2.0 सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

2.1 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि

ग्रेट निकोबार द्वीप पर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क परियोजना को द्वीप की एकीकृत विकास योजना की आधारशिला के रूप में पहचाना गया है। इस सड़क परियोजना का उद्देश्य गांवों को जोड़ना, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, टाउनशिप विकास और बिजली संयंत्र जैसे बड़े पैमाने के बुनियादी अवसंरचनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना तथा समग्र आर्थिक एवं सामाजिक कोनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

प्रारंभ में परियोजना प्रस्ताव में छह गांवों में फैली 90.935 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित की गई थी। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण और संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद अधिग्रहण क्षेत्र को संशोधित कर 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि कर दिया गया जो छह गांवों: कैंपबेल-बे, गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजय नगर, लक्ष्मी नगर और गांधी नगर में फैली हुई है।

2.2 भूमि अधिग्रहण का विवरण

- कैंपबेल-बे : 0.4654 हेक्टेयर
- गोविंद नगर : 21.9221 हेक्टेयर
- जोगिंदर नगर : 12.9185 हेक्टेयर
- विजय नगर : 12.7449 हेक्टेयर
- लक्ष्मी नगर : 17.8715 हेक्टेयर
- गांधी नगर : 21.8678 हेक्टेयर

इस कुल 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि में बागान भूमि, कृषि भूमि तथा आवासीय भूखंडों के हिस्से सम्मिलित हैं।

2.3 गाँवों पर प्रभाव

यह परियोजना छह गाँवों के लगभग 201 परिवारों को प्रभावित करेगी। हालाँकि अधिग्रहण के कारण इन परिवारों को भौतिक रूप से विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके निवास स्थान अधिकांशतः अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी इसका कृषि भूमि और बागानों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा जो आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, धार्मिक संस्थान और गाँव की सार्वजनिक संपत्तियाँ अप्रभावित रहेंगी, जिससे सामाजिक व्यवधान न्यूनतम होगा।

2.4 वर्तमान भूमि उपयोग

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि प्रभावित परिवारों के निर्वाह/गुजर–बसर और आर्थिक कल्याण के कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है:

• बागान: नारियल और सुपारी के बागान स्थानीय भू-भाग पर फैली हुई हैं, जो घरेलू अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये लंबी अवधि की फसलें हैं जिनसे भविष्य में निरंतर आय के महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं।

• कृषि: धान की खेती और छोटे पैमाने पर सब्जी की खेती स्थानीय व्यापार के साथ-साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा को भी पूरा करती है।

• गृहस्थी उपयोग: भूमि के कुछ हिस्सों का उपयोग रसोई उद्यान, पशुपालन, जलाऊ लकड़ी संग्रहण और अन्य छोटी सहायक गतिविधियों के लिए किया जाता है, जो सीधे तौर पर घरेलू जीविका के लिए सहायक है ।

2.5 सामुदायिक भावना

जन परामर्श और सुनवाई के दौरान प्रभावित परिवारों ने परियोजना के लिए ज़मीन देने की व्यापक इच्छा व्यक्त की, बशर्ते उन्हें पर्याप्त और उचित मुआवज़ा दिया जाए। उन्होंने इन बातों पर भी ज़ोर दिया:

• अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन के बदले ज़मीन देना (अर्थात ज़मीन के बदले ज़मीन)

• मुआवज़ा प्रक्रिया में समयबद्धता और पारदर्शिता

• पेड़ों, फसलों और बागवानी परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन

• पुनर्वास और आजीविका के विकल्पों का आश्वासन

• प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए रोज़गार का अवसर

• सामुदायिक पहचान बनाए रखने और भविष्य की आर्थिक गतिविधियों से बहिष्कार को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय।

3.0 सामाजिक प्रभाव

सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट अधिग्रहण के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों पर प्रकाश डालती है:

• कृषि और बागान भूमि का नुकसान: मुख्य प्रभाव नारियल और सुपारी के बागानों, धान के खेतों और सब्जियों के खेतों का नुकसान है। यह परिवारों की आजीविका को सीधे प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश परिवार पूरी तरह से बागानों पर निर्भर हैं।

• आजीविका में व्यवधान: कृषि और बागान-आधारित रोज़गार बाधित होंगे, जिसका सबसे ज़्यादा असर उन महिलाओं पर पड़ेगा जो बागान कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

• परिवारों का कोई भौतिक विस्थापन नहीं: कोई भी घर उजड़ेगा नहीं और कोई भी सामुदायिक अवसंरचना ध्वस्त नहीं होगा, जिससे अन्य समान परियोजनाओं की तुलना में व्यवधान कम होगा।

• संपत्ति के अधिकारों का नुकसान: परिवारों का पैतृक भूमि से दीर्घकालिक संबंध समाप्त हो जाएगा, जिसका आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से महत्व है।

• मुआवज़े को लेकर अनिश्चितता: समुदायों ने मूल्यांकन में असमानता, भुगतान में संभावित देरी और प्रभावित गाँवों में मुआवज़े की एकरूपता को लेकर अपनी आशंकाएँ व्यक्त की।

4.0 प्रभावित समुदायों की प्रमुख चिंताएँ और माँगें

प्रभावित परिवारों ने कई विशिष्ट चिंताएँ और माँगें उठाईं:

• मुआवज़ा दरें: परिवारों ने समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) में प्रचलित सर्किल दरों के बराबर मुआवज़ा देने की माँग की।

• वृक्ष और फसल मूल्यांकन: नारियल और सुपारी के पेड़ों के लिए पर्याप्त मूल्यांकन पर ज़ोर दिया गया, जिसमें प्रति नारियल पेड़ 50,000 रुपये की माँग आम थी और साथ ही सुपारी के पेड़ों के लिए आनुपातिक मुआवज़ा भी।

• रोज़गार आश्वासन: इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि परियोजना निर्माण के दौरान और भविष्य में संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं में प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएँ।

• सभी गाँवों में एक समान मुआवज़ा: असमानता को रोकने के लिए सभी छह प्रभावित गाँवों में मुआवज़े की समान दरों की माँग की गई।

• वैकल्पिक भूमि प्रावधान: परिवारों ने, विशेष रूप से लक्ष्मी नगर और गांधी नगर में, कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए भूमि के बदले भूमि मुआवजे का अनुरोध किया।

• दीर्घकालिक बसावट और सुरक्षा: भूमि की अधिकांश भाग को खोने वाले परिवारों ने आवास सुरक्षा सहित स्थायी बसावट समाधानों का आश्वासन मांगा।

• सांस्कृतिक मान्यता: द्वीप के विकास में उनके योगदान के सम्मान में सेटलर्स और पूर्व रक्षा कर्मियों के लिए एक स्मारक बनाने का अनुरोध किया ।

• फसल मुआवजा: परिवारों ने परियोजना का कार्यान्वयन शुरू होने से पहले फसल काटने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने या फसल को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की।

• व्यावसायिक अवसर: परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका की सुविधा हेतु सड़क गलियारे के किनारे कियोस्क, स्टॉल या दुकानों के आवंटन का अनुरोध।

• सामुदायिक सुरक्षा: अवसंरचनाओं के विकास के बाद बाहरी लोगों के संभावित आगमन पर चिंता व्यक्त की गई और साथ ही उभरते आर्थिक अवसरों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की मांग की।

5.0 सामाजिक प्रभाव आकलन की अंतिम रिपोर्ट टिप्पणी

सामाजिक प्रभाव आकलन की अंतिम रिपोर्ट का निष्कर्ष यह निकाला कि प्रस्तावित अधिग्रहण:

• सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक: यह परियोजना सड़क संपर्क को मज़बूत करने, अवसंरचनाओं को एकीकृत करने और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए आवश्यक है।

• न्यूनतम पैमाने पर: अधिग्रहित की जाने वाली 87.7902 हेक्टेयर भूमि, विकल्पों पर उचित विचार करने के बाद आवश्यक न्यूनतम भूमि का प्रतिनिधित्व करती है।

• लागत और लाभ में संतुलित: बेहतर परिवहन, व्यावसायिक अवसर और क्षेत्रीय विकास जैसे दीर्घकालिक लाभ, परियोजना से जुड़ी अपेक्षाकृत सीमित सामाजिक लागतों से कहीं अधिक होने की उम्मीद है।

• पर्यावरण के प्रति संवेदनशील: रिपोर्ट पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, वैकल्पिक बागवानी और उत्सर्जन नियंत्रण की सिफ़ारिश करती है।

• सामुदायिक चिंताओं के प्रति संवेदनशील: उचित और न्यायसंगत मुआवज़ा एवं आजीविका बहाली के लिए पारदर्शी और सहभागी प्रक्रियाएँ परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ये उपाय विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण करने तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, ताकि इस पहल के प्रभाव को सामाजिक रूप से समावेशी और संधारणीय बनाया जा सके।

6.0 सामाजिक प्रभाव आकलन अंतिम रिपोर्ट की सिफ़ारिशें

सामाजिक प्रभाव आकलन दल ने निम्नलिखित सिफ़ारिशें कीं:

1. समय पर मुआवज़ा: अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के एक स्वतंत्र निगरानी निकाय जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और संबंधित विशेषज्ञों की भागीदारी हो, की देखरेख मुआवज़ा शीघ्रता से और पूर्णतः RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए।

2. आजीविका बहाली: प्रभावित परिवारों के लिए रोज़गार के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रमों को परियोजना में एकीकृत किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाए।

3. पुनर्वास और पुनर्स्थापन: जहाँ भी संभव हो, परियोजना प्रभावित परिवारों के मूल आवासों के निकट भूमि के बदले भूमि मुआवज़ा और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): परियोजना से संबंधित सीएसआर के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों को कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

5. पेड़ों और फसलों का पारदर्शी मूल्यांकन: निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए, नष्ट होने वाले पेड़ों की संख्या की गणना और उनके मूल्यांकन में स्थानीय हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।

6. सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण: स्थानीय योगदान और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए सेटलर्स के सम्मान में एक स्मारक का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

7. नियमित सामुदायिक सहभागिता: परियोजना प्राधिकारियों को स्थानीय समुदाय के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं और शिकायतों का समाधान किया जा सके और साथ ही विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण किया जा सके। परियोजना क्रियान्वयन को सहभागी बनाने और विकासात्मक परिणामों को सामाजिक रूप से समावेशी और संधारणीय बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

7.0 समिति के विचार-विमर्श और निष्कर्ष

विशेषज्ञ समिति ने सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की समीक्षा की और निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँची:

• परियोजना के लिए 87.7902 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण न्यूनतम आवश्यकता है, जिससे प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम होंगे।

• वैकल्पिक मार्गों की खोज की गई और वर्तमान संरेखण सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से सबसे अधिक व्यवहार्य पाया गया।

• परियोजना का एक निर्विवाद सार्वजनिक प्रयोजन है, जो आर्थिक एकीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान करता है। व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के अलावा, प्रस्तावित परियोजना के स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी संभावना है।

• लाभ सामाजिक लागतों से अधिक हैं, बशर्ते अनुशंसित आवश्यक शमन उपायों को सही भावना से लागू किया जाए। इस संबंध में, परियोजना प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को देखते हुए परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी और सिफारिशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन करना महत्वपूर्ण है ।

8.0 विशेषज्ञ समूह की अंतिम सिफ़ारिशें

विशेषज्ञ समूह सर्वसम्मति से अनुशंसा करता है कि परियोजना निम्नलिखित सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़े:
• पारदर्शी मुआवज़ा: सभी प्रभावित परिवारों को उचित, पर्याप्त, न्यायसंगत और समय पर मुआवज़ा, जिसमें पेड़ों और फसलों का मूल्यांकन स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ विचार-विमर्श कर सत्यापित और निर्धारित किया जाएगा।

• आजीविका सुरक्षा: प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक रोज़गार/आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य आर्थिक अवसरों की खोज का प्रावधान।

• पुनर्वास उपाय: प्रभावित परिवारों के लिए आवास और भूमि स्वामित्व सुरक्षित करने हेतु पुनर्वास योजनाएँ।

• सांस्कृतिक मान्यता: सेटलरों की सम्मान और प्रभावित परिवारों की पहचान को संरक्षित करने के लिए एक स्मारक की स्थापना।

• निरंतर सामुदायिक सहभागिता : मुआवजा और पुनर्वास, परियोजना से प्राप्त होने वाले अवसरों, गलत सूचनाओं को रोकने और उनका विश्वास एवं भरोसा बनाए रखने के लिए समुदायों को निरंतर आश्वस्त करने के लिए नियमित आधार पर परामर्श और अद्यतन जानकारी प्रदान करना ।

• पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: पारिस्थितिक व्यवधान को कम करने के लिए वृक्षारोपण, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण पद्धतियाँ, वैकल्पिक बागवानी और सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण। सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने और उसके लिए पर्याप्त एवं उचित मुआवजा के अलावा, क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता और विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रावधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

गठित विशेषज्ञ समूह ने ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है। विशेषज्ञ समूह का मानना है कि यह ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वीप पर व्यापक विकास पहल की आधारशिला है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी), ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, टाउनशिप विकास, बिजली संयंत्र और संबंधित सुविधाओं के संचालन के लिए आवश्यक भौतिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इन प्रमुख उपयोगिताओं जैसे – सड़कें जल आपूर्ति, बिजली वितरण, सीवेज और जल निकासी तंत्र एवं संचार नेटवर्क के बिना ग्रेट निकोबार के समग्र विजन को एकीकृत या संधारणीय तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन इस बात की पुष्टि करता है कि राजस्व विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक विचार और व्यापक सर्वेक्षण के बाद 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रस्तावित अधिग्रहण परियोजना के लिए न्यूनतम

व्यवहार्य आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भूमि अधिग्रहण में घरों और सामुदायिक संपत्तियों का भौतिक विस्थापन नहीं हो रहा है क्योंकि वे अधिग्रहण क्षेत्रों से बाहर हैं।

हालांकि, इस अधिग्रहण से उच्च उपज वाले नारियल और सुपारी के पेड़ों वाली बागान भूमि, कृषि भूमि और पैतृक संपत्ति से जुड़ी भावनाएँ प्रभावित होंगी, जो छह गाँवों के लगभग 201 परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है ।

• कैंपबेल-बे

• गोविंद नगर

• जोगिंदर नगर

• विजय नगर

• लक्ष्मी नगर

• गांधी नगर

विशेषज्ञ समूह ने स्वीकार किया है कि परियोजना के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ तो पर्याप्त हैं, लेकिन अल्पकालिक आजीविका व्यवधान और उत्पादक भूमि की हानि के लिए कड़े सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के बीच हुए व्यापक विचार-विमर्श, परियोजना स्थलों के व्यापक स्थलिक दौरे और प्रमुख हितधारकों - जिनमें स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं - के साथ विस्तृत बातचीत और सामाजिक प्रभाव आकलन सलाहकार के साथ गहन विचार-विमर्श के आधार पर विशेषज्ञ समूह ने प्रस्तावित परियोजना के सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ समूह सर्वसम्मति से निष्कर्ष पर पहुंचता है और अनुशंसा करता है कि निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन कर सकता है:

• **पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवज़ा:** प्रभावित परिवारों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी के साथ फसलों और बागानों के सत्यापित मूल्यांकन सहित समय पर और उचित मुआवज़ा ।

• **आजीविका बहाली और सुरक्षा:** व्यवधान को कम करने के लिए वैकल्पिक रोज़गार के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सतत आजीविका कार्यक्रमों का प्रावधान।

• **पुनर्वास उपाय:** ज़मीन के बदले ज़मीन का विकल्प और सुरक्षित पुनर्वास समाधान, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जो भारी मात्र में कृषि भूमि को खो रहे हैं।

• **सांस्कृतिक और सामुदायिक मान्यता:** सेटलर्स के सम्मान और सामुदायिक पहचान की संरक्षण के लिए एक स्मारक की स्थापना।

• **निरंतर जुड़ाव/सहभागिता :** विश्वास बनाए रखने और गलत सूचना के फैलाव को कम करने के लिए नियमित परामर्श, शिकायत निवारण तंत्र और पारदर्शी संचार संप्रेषण ।

• **पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय:** वृक्षारोपण, पर्यावरण संवेदनशील निर्माण प्रक्रिया, सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण और पारिस्थितिक विविधता को बढ़ावा देना। इसके अलावा, क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता और विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रावधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विशेषज्ञ समूह इस बात पर ज़ोर देता है कि परियोजना की दीर्घकालिक सफलता और वैधता न केवल अवसंरचनाओं के भौतिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, बल्कि एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र द्वारा निगरानी किए जाने वाले इन सुरक्षा उपायों का कड़ाई से क्रियान्वयन पर भी निर्भर करती है। परियोजना के द्वारा अपने राष्ट्रीय सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने और साथ ही यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए समावेशी और संधारणीय भी बना रहे, सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण, जो अवसंरचनाओं के विकास को सामाजिक समता और पर्यावरणीय संरक्षण के साथ एकीकृत करता हो, अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

Independent Multi-disciplinary Expert Group

Sl. No.	Designation of the Officers/Officials	Signature
1	Assistant Commissioner (Settlement)- Chairperson	
2	Associate Town & Country Planner - Member	
3	The Executive Engineer, APWD, Campbell Bay - Member	
4	Prof. Pulak Mishra, Professor IIT Kharagpur Govt. of India Institution - Member	
5	Dr. Ritusmita Goswami TISS Guwahati Govt funded Institution -Member	
6	The Pradhan, GP Laxmi Nagar -Member	
7	(i) The Pradhan, GP Govind Nagar -Member (ii) The Pradhan, GP Campbell Bay -Member	